

झारखण्ड सरकार  
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग  
(मत्स्य प्रभाग)

सं० सं०-म०नि०-II-उ०यो०-50/2017-18/ 01270(16) /मत्स्य, राँची, दिनांक 07.06.2021

प्रेषक,

अबुबक्कर सिद्दीख पी० भा० प्र० से०  
सरकार के सचिव।

सेवा में,

अनीपचारिक  
रूप से  
परामर्शित

महालेखाकार  
झारखण्ड, राँची।

द्वारा:- योजना-सह-वित्त विभाग (आन्तरिक वित्तीय सलाहकार)।

विषय- वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य योजनान्तर्गत "तालाब तथा जलाशय मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार योजना" के कार्यान्वयन हेतु कुल मो० 3135.61527 लाख (इकतीस करोड़ पैंतीस लाख एकसठ हजार पाँच सौ सताईस) रुपये मात्र की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य योजनान्तर्गत "तालाब तथा जलाशय मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार" एक चालू प्रकृति की योजना है, जिसके अंतर्गत विभागीय मत्स्य बीज वितरण, मत्स्य बीज उत्पादकों को स्पॉन आपूर्ति, पोर्टेबल हैचरी एवं विभागीय हैचरियों से स्पॉन उत्पादन, जलाशयों एवं नदियों के छाड़न में in-situ स्पॉन संचयन, जलाशयों में मेजर कार्प तथा ग्रास कार्प मत्स्य अंगुलिकाओं का संचयन, पूर्व अधिष्ठापित केजों तथा विभागीय अनुदान से अधिष्ठापित RAS में पंगेशियस/GIFT तिलापिया एवं अन्य उपयुक्त बीज का संचयन, पुराने आर०एफ०एफ० हेतु इनपुट, नए आर०एफ०एफ० का अधिष्ठापन, अनुदान पर ग्रो-आउट नेट, गिल-नेट, मोटरचालित नाव, केज हाउस का अधिष्ठापन, केज रिपेयरिंग आदि जैसे कार्य किए जाते हैं।

2. इस योजनान्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 में बजट शीर्ष-2405-मछली पालन के अन्तर्गत मो० 3200.00 लाख रु० मात्र का बजटीय उपबंध है, जिसके विरुद्ध राशि मो० 3135.61527 लाख (इकतीस करोड़ पैंतीस लाख एकसठ हजार पाँच सौ सताईस) रुपये की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि मो० 3135.61527 लाख (इकतीस करोड़ पैंतीस लाख एकसठ हजार पाँच सौ सताईस) रुपये मात्र की निकासी निम्नांकित बजट शीर्ष से की जाएगी :-

९९

माँग संख्या-53 कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)  
मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन-06-तालाब तथा जलाशय मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार योजना

| क्र० | लघु शीर्ष /विस्तृत शीर्ष   | बजट उपबंध<br>(लाख ₹ में) | स्वीकृत राशि<br>(लाख ₹ में) |
|------|--|--------------------------|-----------------------------|
| 1    | लघु शीर्ष-101-अन्तर्देशीय मछली-पालन  |                          |                             |
|      | विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-23 आपूर्ति एवं सामग्री<br>विपत्र कोड 53S24050010106010323                | 1310.00                  | 1309.9853                   |
|      | विस्तृत शीर्ष-04-मोटरगाड़ियाँ/ईंधन-40 नई मोटरगाड़ी का क्रय<br>विपत्र कोड 53S24050010106010440            | 10.00                    | 0.00                        |
|      | विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण-43 अनुरक्षण, मरम्मत एवं सुसज्जीकरण (सामग्री)<br>विपत्र कोड 53S24050010106010543 | 69.00                    | 47.25                       |
|      | विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय-59-अन्य व्यय<br>विपत्र कोड 53S24050010106010759                               | 11.00                    | 11.00                       |
|      | उप योग:  | 1400.00                  | 1368.2353                   |
| 2    | लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना   |                          |                             |
|      | विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-23 आपूर्ति एवं सामग्री<br>विपत्र कोड 53S24050078906010323                | 300.00                   | 299.99277                   |
|      | उप योग:  | 300.00                   | 299.99277                   |
| 3    | लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना   |                          |                             |
|      | विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-23 आपूर्ति एवं सामग्री<br>विपत्र कोड 53S24050079606010323                | 1391.00                  | 1390.8872                   |
|      | विस्तृत शीर्ष-04-मोटरगाड़ियाँ/ईंधन-40 नई मोटरगाड़ी का क्रय<br>विपत्र कोड 53S24050079606010440            | 10.00                    | 0.00                        |
|      | विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण-43 अनुरक्षण, मरम्मत एवं सुसज्जीकरण (सामग्री)<br>विपत्र कोड 53S24050079606010543 | 85.00                    | 62.50                       |
|      | विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय-59-अन्य व्यय<br>विपत्र कोड 53S24050079606010759                               | 14.00                    | 14.00                       |
|      | उप योग:  | 1500.00                  | 1467.3872                   |
|      | कुल योग:   | 3200.00                  | 3135.61527                  |

कुल योग मो० 3135.61527 लाख (इकतीस करोड़ पैंतीस लाख एकसठ हजार पाँच सौ सताईस) ₹ मात्र ।

4. योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, राँची/ पश्चिमी सिंहभूम/ पूर्वी सिंहभूम/ गुमला/ लोहरदगा/ पलामू/ गढ़वा/ दुमका/साहेबगंज/गोड्डा/धनबाद /बोकारो/हजारीबाग/ गिरिडीह/ देवघर/ चतरा तथा जिला मत्स्य पदाधिकारी, सरायकेला-खरसाँवा/ सिमडेगा/ लातेहार/जामताड़ा/पाकुड़/रामगढ़/खूंटी/कोडरमा तथा मुख्य अनुदेशक, मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र, राँची होंगे जो दिये गये भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के संलग्न विवरणी के अनुरूप राशि की निकासी दिये गये आवंटन के अंतर्गत संबंधित कोषागार से करेंगे। इस योजना अंतर्गत स्वीकृत राशि से संलग्न परिशिष्ट-I, II एवं III में उल्लेखित भौतिक लक्ष्यों एवं वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप ही राशि व्यय की जाएगी।

3

12

1

5. योजना के नियंत्री पदाधिकारी राज्य स्तर पर निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची होंगे एवं योजना के सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग होंगे।

6. इस योजना में विभागीय प्रक्षेत्रों में कुल 2500 लाख मत्स्य बीज का उत्पादन मो0 9000/- (नौ हजार) रु0 प्रति लाख मत्स्य बीज की अनुमानित दर पर किया जायेगा। लघु शीर्ष-789 में उत्पादित 300 लाख मत्स्य बीज का 80 प्रतिशत अर्थात् 240 लाख मत्स्य बीज, लघु शीर्ष-796 में उत्पादित 1310 लाख मत्स्य बीज का 80 प्रतिशत अर्थात् 1048 लाख मत्स्य बीज एवं लघु शीर्ष-101 में उत्पादित बीज 890 लाख का 80 प्रतिशत अर्थात् 712 लाख मत्स्य बीज अर्थात् कुल 2000 लाख मत्स्य बीज मो0 10,000/- (दस हजार) रु0 प्रति लाख की दर से बिक्री कर मो0 200.00 लाख (दो करोड़) रु0 का राजस्व प्राप्त किया जायेगा।

शेष 500 लाख मत्स्य बीज अनुदान पर वैसे अनुसूचित जाति/जनजाति के मत्स्य कृषकों को उपलब्ध कराया जायेगा, जो नगद राशि पर मत्स्य बीज का क्रय किए हों। अस्सी हजार मत्स्य बीज क्रय करने वाले अनुसूचित जाति/जनजाति के मत्स्य कृषकों को बीस हजार मत्स्य बीज शत-प्रतिशत अनुदान पर देय होंगे। यह अनुपातिक रूप से जिलावार इस कोटि के लक्ष्य के अधीन होगा।

7. निजी क्षेत्र के प्रशिक्षित मत्स्य बीज उत्पादकों के द्वारा कुल 461.25 करोड़ मत्स्य बीज उत्पादन करने के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कुल 1845 करोड़ मत्स्य स्पॉन प्रशिक्षित मत्स्य बीज उत्पादकों को सरकारी तथा गैर सरकारी हैचरी से अधिकतम 550/-रु0 प्रति लाख स्पॉन की अनुमानित दर से उत्पादन/जिला स्तरीय निविदा द्वारा क्रय कर आपूर्ति करने की योजना है। आपूर्ति किये जाने वाले स्पॉन के मूल्य का 90 प्रतिशत व्यय का वहन सरकार द्वारा तथा 10 प्रतिशत मूल्य का वहन लाभुक मत्स्य बीज उत्पादक द्वारा किया जायेगा। समान मूल्य दर पर स्थानीय हैचरी संचालकों को प्राथमिकता दी जायेगी। राज्य के 123 पोर्टेबल मत्स्य बीज हैचरियों से 123 करोड़ मत्स्य स्पॉन उत्पादन तथा विभागीय हैचरियों के रख-रखाव (ब्रूडर तथा प्रेरित प्रजनन सहित) एवं इनसे 51 करोड़ मत्स्य स्पॉन का उत्पादन किया जाएगा। प्रति करोड़ मत्स्य स्पॉन उत्पादन हेतु अधिकतम 40,000/- रु0 की दर से अथवा वास्तविक व्यय जो कम हो, का व्यय किया जाएगा। पोर्टेबल हैचरी से उत्पादित स्पॉन की बिक्री से प्राप्त आय संबंधित हैचरी संचालक समूह के बैंक खाते में जमा होगी ताकि इस समूह के हैचरी कार्य से इन्हें स्थानीय रोजगार उपलब्ध हो सके। अवशेष राशि हैचरी के रख-रखाव एवं अगले चक्र हेतु उपयोग की जायेगी।

7500 मत्स्य बीज उत्पादकों को मत्स्य स्पॉन से मत्स्य बीज की तैयारी, निकासी एवं बिक्री हेतु 2000/-रु0 का फैक्ट्री फॉर्मूलेटेड फीड दिया जायेगा, साथ ही जाल आदि के क्रय पर अधिकतम 2000/-रु0 अनुदान प्रति बीज उत्पादक की दर से जिला स्तर पर निविदा आमंत्रित करते हुए उपलब्ध कराया जायेगा।

8. (क) मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के सक्रिय सदस्यों/बीज उत्पादकों के माध्यम से जलाशयों में in-situ मत्स्य बीज का उत्पादन/संचयन कराया जायेगा। इस पर प्रति लाख स्पॉन से मत्स्य बीज के उत्पादन पर अधिकतम मो0 800/- रु0 मात्र की अनुमानित दर से विभागीय रूप से व्यय किया जायेगा। चयनित स्थल, संचित किये गये स्पॉन, की गई आवश्यक तैयारी तथा फोटोग्राफ्स आदि से संबंधित अभिलेख तैयार करने की जिम्मेवारी संबंधित क्षेत्रीय मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक/पदाधिकारी तथा जिला मत्स्य पदाधिकारी की होगी। इस कार्यक्रम के भौतिक आँकड़ों/उपलब्धियों का अंकन अभिलेख का आवश्यक अंग होगा। स्थल चयन मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के सक्रिय सदस्यों/बीज उत्पादकों तथा संबंधित क्षेत्रीय मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक/पदाधिकारी के द्वारा संयुक्त रूप से की जाएगी एवं उसका भी ब्यौरा अभिलेख में संधारित किया जायेगा। इसीप्रकार नदियों में भी in-situ मत्स्य बीज का उत्पादन/संचयन कराया जायेगा। इस पर प्रति लाख स्पॉन से मत्स्य बीज के उत्पादन पर अधिकतम मो0 700/- रु0 मात्र की अनुमानित दर से विभागीय रूप से व्यय किया जायेगा।

3/11

12

12

12

(ख) जिला मत्स्य पदाधिकारी अपने जिले के जलाशयों में मत्स्य अंगुलिकाओं के संचयन के प्राप्त भौतिक लक्ष्य को प्राथमिकता के आधार पर बड़े जलाशयों, मध्यम जलाशयों एवं छोटे जलाशयों में संचयन हेतु विभाजित करेंगे तथा सुनिश्चित करेंगे कि अधिक से अधिक जलाशयों में समानुपातिक रूप से अंगुलिकाओं का संचयन संभव हो। उप मत्स्य निदेशक (जलाशय)/निदेशक मत्स्य द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा जलाशयों में मत्स्य अंगुलिकाओं के संचयन हेतु आवश्यक संख्या का अनुमोदन किया जाएगा। निदेशक मत्स्य द्वारा जलाशयों में अंगुलिकाओं के ससमय संचयन हेतु आवश्यकतानुसार दिशा निदेश निर्गत किया जायेगा।

(ग) पुराने आर0एफ0एफ0 में इनपुट्स (यथा मत्स्य बीज, पूरक आहार आदि) हेतु संलग्न परिशिष्टों में अंकित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुरूप प्रति यूनिट अधिकतम 25,000/- रु0 अथवा वास्तविक व्यय, जो भी कम हो, की दर से कार्य संपादित किए जायेंगे।

(घ) जलाशयों/नदियों के छाड़न हेतु स्पॉन का क्रय जिला स्तर पर निविदा के माध्यम से प्रक्रिया अनुसार किया जायेगा।

(ङ0) इस योजना के अन्तर्गत आकस्मिकता मद की स्वीकृत राशि से पर्यवेक्षण, फोटोग्राफी, डाटा इन्ट्री इत्यादि कार्य किए जाएंगे।

9. मत्स्य अंगुलिकाओं का संचयन जिला स्तर पर पूर्व से उपायुक्त द्वारा गठित समिति एवं जलाशय के निबंधित सहयोग समिति के सदस्यों की उपस्थिति में किया जायेगा। संचयन के कार्यक्रम से जिले के उपायुक्त को सचिका के माध्यम से अवगत कराया जायेगा तथा आवश्यकतानुसार नई समिति का गठन उपायुक्त की सहमति से किया जा सकेगा।

10. (क) पंगेशियस/GIFT तिलापिया/अन्य उपयुक्त बीज तथा अन्य मेजर/ग्रास कार्प की अंगुलिकाओं के क्रय हेतु जिला स्तर पर समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर "इच्छा की अभिव्यक्ति" आमंत्रित की जायेगी। समान मूल्य दर पर स्थानीय मत्स्य बीज उत्पादकों/प्रशिक्षित मत्स्य बीज उत्पादकों को प्राथमिकता दी जायेगी।

(ख) संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी संचयन एवं in-situ बीज उत्पादन के फोटोग्राफ्स (Latitude - longitude सहित)/विडियोग्राफ्स/पंजी आदि संधारित कराकर सुरक्षित रखेंगे।

(ग) एक मत्स्य बीज उत्पादक से न्यूनतम 50 हजार तथा अधिकतम 02 लाख मत्स्य बीज (मेजर कार्प अंगुलिका) ही क्रय किये जायेंगे।

(घ) विगत वर्षों की भाँति ही समितियों एवं उनके सदस्यों को दिए जाने वाले 126 नाव हेतु प्रति नाव की अनुमानित इकाई लागत 33,000/- (तीस हजार) रु0 होगी जिसमें सरकारी सहायता अधिकतम 30,000/- (तीस हजार) रु0 प्रति नाव होगी। शेष राशि मत्स्यजीवी सहयोग समितियों अथवा उनके सदस्यों के द्वारा स्वयं वहन किया जायगा।

(ङ) केज रिपेयरिंग की अनुमानित लागत पैंतीस हजार रु0 है जिसमें सरकारी सहायता अधिकतम 25,000/- (पच्चीस हजार) रु0 की होगी। शेष राशि केज लाभुकों/धारक समितियों के द्वारा स्वयं वहन किया जायगा। केज रिपेयरिंग के लिए इच्छुक लाभुक जिला मत्स्य कार्यालय में आवेदन देंगे। प्राप्त आवेदनों की स्थल जाँच प्रभारी मत्स्य पदाधिकारी/मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक अथवा आवश्यकतानुसार जिला मत्स्य पदाधिकारी स्वयं लाभुक के साथ ससमय करेंगे। मरम्मत योग्य केज का लाभुकवार केज रिपेयरिंग के अभिलेख तैयार किए जायेंगे। अभिलेख में लाभुक का आवेदन, केज का फोटोग्राफ (Latitude - longitude सहित), रिपेयरिंग कार्य में प्रयुक्त होने

वाली सामग्रियों की सूची (दर सहित), मजदूरी पर व्यय की गई राशि, केजों की कुल संख्या एवं रिपेयरिंग के उपरांत फोटोग्राफ तथा जिला मत्स्य पदाधिकारी की टिप्पणी सहित लाभुक का कार्य सम्पादित का आवेदन संधारित किये जायेंगे। केज रिपेयरिंग में प्रयुक्त सामग्रियों/मजदूरी का भुगतान केज अधिष्ठापन के वर्तमान प्राक्कलन/अधिसूचित दर के आधार पर वास्तविक अथवा अधिकतम मो0 25000/-रु0 प्रति केज बैटरी, जो भी कम हो किया जायेगा तथा शेष राशि केज लाभुकों/धारक समितियों के द्वारा स्वयं वहन की जायेगी। जिला मत्स्य पदाधिकारी केज रिपेयर में हुए कार्यों में लाभुकों के अंशदान के समानुपातिक राज्य सहायता सुनिश्चित करेंगे।

(च) जलाशयों में वर्ष 2016-17 के पूर्व निर्मित केजों के लिए कम से कम 6 मीटर x 4 मीटर x 4 मीटर साईज के 45 Ply के 12-24 mm eye size नायलॉन, 210 D नायलॉन knotted / knotless (लाभुक के इच्छानुसार) ग्रो-आउट नया नेट लगाना आवश्यक है। एक लाभुक को अधिकतम दो नये ग्रो-आउट नेट ही देय होंगे। वित्तीय वर्ष 2020-21 में निदेशक मत्स्य द्वारा ग्रो आउट नेट की इकाई लागत निर्धारित करने हेतु आमंत्रित "इच्छा की अभिव्यक्ति" में 45 Ply के knotted ग्रो-आउट नेट हेतु निर्धारित न्यूनतम दर 30,425/- रुपये का 75 प्रतिशत अर्थात् अधिकतम 22,819/- रुपये का स्वीकृत अनुदान देय होगा तथा शेष लाभुक का अंशदान होगा। केज मत्स्य पालक अगर knotless ग्रो-आउट नेट क्रय करते हैं तो उनके अनुदान की गणना उक्त दर 30,425/- रुपये प्रति नेट के आधार पर ही की जाएगी।

लाभुकों का चयन जिला स्तरीय सुरक्षित जमा निर्धारण समिति द्वारा किया जाएगा। इस समिति में संबंधित जलाशय के केज के क्षेत्र की मत्स्यजीवी सहयोग समिति के अध्यक्ष/सचिव अथवा दोनों को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा। वैसे केज लाभुक जिनके पास वर्ष 2016-17 के पूर्व अर्थात् वर्ष 2015-16 तक के निर्मित केज हों तथा केजों में वर्तमान में मछली पालन किया जा रहा है। साथ ही लाभुक द्वारा अपना अंशदान लगाने की लिखित सहमति एवं विगत वर्षों का केज में मछली उत्पादन का आँकड़ा लिखित रूप में आवेदन के साथ संलग्न किया गया हो। केज मत्स्य पालकों द्वारा उपरोक्त निर्धारित मूल्य के नये ग्रो-आउट नेट के क्रय का अभिश्रव प्रस्तुत करने पर अनुदान की राशि उनके बैंक खाते में डी0बी0टी0 की जाएगी। जिला मत्स्य पदाधिकारी अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत मत्स्य प्रसार पदाधिकारी/पर्यवेक्षक के द्वारा ग्रो-आउट नेट का भौतिक सत्यापन अनुदान विमुक्त करने के पूर्व किया जाएगा।

(छ) जलाशयों में मछली पालन के दौरान मत्स्य पालकों की सुरक्षा तथा आपदा की स्थिति में जिला प्रशासन द्वारा की जाने वाली मोटरचालित नाव की मांग को ध्यान में रखते हुये जलाशय मत्स्यजीवी सहयोग समितियों को 4 से 6 सीटर क्षमता वाले मोटरचालित नाव {FRP Boat, Size- 14'-0" x 5'-4" x 2'-0" के साथ 9.9 HP OBM HIDEA Manual Rope Start 2 Stroke Petrol operated तथा Accessories-Oars (2 Nos.) एवं PP Rope-50 Ft.} उपलब्ध कराया जाना है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में निदेशक मत्स्य द्वारा मोटरचालित नाव की इकाई लागत निर्धारित करने हेतु आमंत्रित "इच्छा की अभिव्यक्ति" में निर्धारित न्यूनतम दर 4,45,000/- रुपये का 90 प्रतिशत अर्थात् अधिकतम 4,00,500/- रुपये का स्वीकृत अनुदान देय होगा तथा आवश्यक शेष 10 प्रतिशत राशि का वहन लाभुक समितियों द्वारा स्वयं किया जाएगा।

लाभुक मत्स्यजीवी सहयोग समितियों का चयन जिले के उपायुक्त द्वारा किया जाएगा। इसके लिए समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए जाएँगे। इस हेतु चयन समिति का गठन उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा कराया जाएगा। बोट के संचालन तथा रख-रखाव की जिम्मेवारी संबंधित लाभुक मत्स्यजीवी सहयोग समिति की होगी।

4/11

2

2

2

(ज) इसी प्रकार जलाशयों में मछली की शिकारमाही करने वाले जलाशय मत्स्यजीवी सहयोग समितियों/सदस्यों/विस्थापितों तथा कोविड-19 के प्रवासी मजदूरों को मछली की शिकारमाही हेतु प्रति लाभुक अधिकतम 05 कि० ग्रा० गिल नेट (Fish Net Nylon Poly, Twin size 1/3, Mesh size 75mm – 150 mm, M.D 100) हेतु अनुदान उपलब्ध कराया जाना है। इस स्पेशिफिकेशन के गिल नेट के क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में निदेशक मत्स्य द्वारा इकाई लागत निर्धारित करने के लिए आमंत्रित "इच्छा की अभिव्यक्ति" में निर्धारित न्यूनतम दर 638/- रुपये के विरुद्ध 90 प्रतिशत की आर्थिक सहायता अर्थात् 2871/- रु दी जाएगी एवं आवश्यक शेष 10 प्रतिशत राशि का वहन लाभुकों द्वारा स्वयं किया जाएगा।

लाभुकों का चयन जिला स्तरीय सुरक्षित जमा निर्धारण समिति द्वारा किया जाएगा। इस समिति में संबंधित जलाशय के मत्स्यजीवी सहयोग समिति के अध्यक्ष/सचिव अथवा दोनों को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा। लाभुक को अपना अंशदान लगाने की लिखित सहमति एवं विगत दो वर्षों का मछली शिकारमाही का आँकड़ा लिखित रूप में आवेदन के साथ संलग्न करना होगा। उपरोक्त उल्लिखित स्पेशिफिकेशन के नये 05 कि० ग्रा० गिल नेट क्रय का अभिश्रव प्रस्तुत करने पर जिला मत्स्य पदाधिकारी अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी/कर्मचारी के सत्यापन उपरान्त अनुदान की राशि लाभुकों के बैंक खाते में डी०बी०टी० की जाएगी।

(झ) पूर्व में वर्ष 2015-16 तक विभिन्न जलाशयों में केज हाउस का निर्माण कराया गया है। किन्तु वर्ष 2016-17 से केन्द्र प्रायोजित ब्लू रेभोल्यूशन योजना एवं एन०एफ०डी०बी० द्वारा राज्य के विभिन्न जलाशयों में निर्मित केजों के साथ केज हाउस निर्मित नहीं हैं। इन केजों में मछलियों के आहार (Fish Feed) को रखने की व्यवस्था तथा केज पालकों के ठहरने हेतु केज हाउस आवश्यक है। केज हाउस के अधिष्ठापन से जलाशयों में अधिष्ठापित केजों में मछली पालन की निगरानी भी अच्छे तरीके से की जा सकेगी। कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष शाखा, हजारीबाग द्वारा राज्य में लागू वर्तमान अनुसूचित दर पर मो० 5,06,800/- रुपये मात्र प्रति केज हाउस (मछली पालन हेतु केज सम्मिलित नहीं) के प्राक्कलन पर तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई है।

निदेशक मत्स्य द्वारा उपरोक्त तकनीकी स्वीकृत प्राक्कलन के विरुद्ध केज हाउस (मछली पालन हेतु केज सम्मिलित नहीं) की इकाई लागत निर्धारित करने हेतु आमंत्रित "इच्छा की अभिव्यक्ति" में निर्धारित न्यूनतम दर 5,06,000/- रुपये पर अधिकतम 90 प्रतिशत अनुदान देय होगा तथा शेष 10 प्रतिशत लाभुक का अंशदान होगा। साथ ही लाभुक द्वारा अपना अंशदान लगाने की लिखित सहमति एवं विगत वर्षों का केज में मछली उत्पादन का आँकड़ा लिखित रूप में आवेदन के साथ संलग्न किया गया हो। पूर्व के वैसे केज लाभुक जिन्हें केज हाउस का लाभ नहीं मिला है, उन्हें इस केज हाउस का लाभुक बनाया जा सकता है।

ध्यान रखा जाए कि जहाँ पूर्व से केज हैं, वहीं केज हाउस का निर्माण कराया जाय और मोटरबोट उपलब्ध कराई जाए। Cluster पद्धति से ही कार्य कराया जाय ताकि इनका समुचित अनुश्रवण हो सके। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के guidelines में निहित प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(ञ) नये आर०एफ०एफ० के लिए प्रति चालीस मी० गुणा पाँच मी० के नेट के साथ इनपुट व्यय सहित इकाई लागत मो० 86000/- रु अनुमानित है। इस योजना के अन्तर्गत आकस्मिकता मद की स्वीकृत राशि से पर्यवेक्षण, फोटोग्राफी (Latitude – longitude सहित), डाटा इन्ट्री इत्यादि कार्य किए जाएँगे। योजना का दोहरीकरण नहीं किया जाय।

(ट) अनुरक्षण, मरम्मत एवं सुसज्जीकरण (सामग्री) के तहत् आवश्यकतानुसार कार्यों के साथ-साथ क्रय आदि की विहित प्रक्रिया का पालन करते हुये सोलर लाईट अधिष्ठापन का कार्य किया जायेगा।

3-11

72

21

(ठ) योजना के अंतर्गत उपर्युक्त कार्यक्रमों के सफल कार्यान्वयन हेतु समय-समय पर मत्स्य निदेशालय द्वारा जिलों को अनुदेश जारी किये जायेंगे।

(ड) प्राथमिक स्तर पर प्रखण्ड प्रभारी मत्स्य पदाधिकारी/मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक एवं द्वितीय स्तर पर जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा योजना का अनुश्रवण तथा स्थल निरीक्षण किया जाएगा। मदवार प्रगति के आँकड़ों का मासिक संकलन जिला स्तर पर करते हुए इसका प्रतिवेदन निदेशक मत्स्य को प्रेषित किया जाएगा।

निदेशालय स्तर पर उप मत्स्य निदेशक, योजना, प्रसार एवं अनुश्रवण/जलाशय/ सहायक मत्स्य निदेशक (तकनीकी) इस योजना के अंतर्गत राज्य के भौतिक उपलब्धियों की साप्ताहिक समीक्षा कर प्रतिवेदन निदेशक मत्स्य को उपलब्ध करायेंगे तथा भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करायेंगे। निदेशालय स्तर पर आवश्यकतानुसार योजना के विभिन्न एवं आवश्यक कम्पोनेंट्स का समय-समय पर मूल्यांकन कराया जाएगा।

11. झारखण्ड दिव्यांग नीति के तहत इच्छुक दिव्यांगों को योजनाओं में तीन प्रतिशत तक का लाभ दिया जा सकेगा।
12. इस योजना अंतर्गत अनुमानित व्यय के आधार पर मदवार राशि स्वीकृत की गई है। मदवार स्वीकृत राशि की अधिसीमा अंतर्गत पारदर्शी तरीके से सभी स्थापित प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुये दर का निर्धारण कर संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा राशि का व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।
13. स्वीकृत राशि का व्यय प्राप्त आवंटन, वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश पत्रांक-2561 दिनांक 17.04.98 द्वारा निरूपित प्रावधानों का दृढ़ता से अनुपालन करते हुए तथा वित्तीय नियमावली व कोषागार संहिता के सुसंगत नियमों एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में की जायेगी।
14. Covid 19 महामारी के कारण योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार के द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में राशि की निकासी से संबंधित दिशा निर्देश/आदेश के आलोक में राशि की निकासी की जायेगी। इसका अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जाएगा।
15. विषयगत योजना कार्यान्वयन के क्रम में मशीन, उपस्कर इत्यादि के क्रय योजना-सह-वित्त विभाग (वित्त प्रभाग), झारखण्ड, राँची द्वारा निर्धारित मानकों/शर्तों/नियमों का सुदृढ़तापूर्वक पालन किया जाए।
16. राशि का व्यय उपलब्ध बजट उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत मदों में दर्शायी गई राशि की अधिसीमा में की जायेगी। इसके उल्लंघन की स्थिति में संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः दोषी होंगे।
17. वित्तीय वर्ष 2020-21 के वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियों पर संतुष्ट होने के उपरांत ही आवंटन निर्गत किया जायगा। किसी भी परिस्थिति में योजना का दोहरीकरण न हो।
18. योजना के अन्तर्गत कोई राशि अग्रिम के समायोजन हेतु लंबित नहीं है।
19. योजना अंतर्गत वर्ष 2020-21 में स्वीकृत बजट उपबंध मो0 3600.00 लाख रु0 (संशोधित बजट उपबंध मो0 3528.00 लाख रु0) मात्र में से मो0 3178.009 लाख रु0 मात्र का व्यय स्वीकृत कार्य हेतु किया गया।
20. प्रशासी विभाग यह आश्वस्त हो लें कि विषयगत योजना कार्यान्वयन के क्रम में योजना-सह-वित्त विभाग (वित्त प्रभाग), झारखण्ड, राँची के आदेश संख्या-810/वि0 दिनांक 30.04.2020 में निहित निर्देशों का सुदृढ़तापूर्वक अनुपालन हो रहा हो।
21. प्रस्ताव में माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

344

344

344

22. उक्त स्वीकृत्यादेश मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड के अधिसूचना ज्ञापांक 301 दिनांक 11.03.2015 के आलोक में निर्गत किया जाता है।

23. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

24. निर्गत स्वीकृत्यादेश विभागीय वेब-साईट [www.jharkhandfisheries.org](http://www.jharkhandfisheries.org) पर देखा जा सकता है।

विश्वासभाजन

(अबुबकर सिद्दीख पी0)

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 01.270(वि) मत्स्य / राँची, दिनांक 07.06.2021

प्रतिलिपि अनुलग्नक सहित सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ज्ञापांक 01.270(वि) मत्स्य / राँची, दिनांक 07.06.2021

प्रतिलिपि अनुलग्नक सहित निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची/संयुक्त मत्स्य निदेशक/उप मत्स्य निदेशक (सभी)/जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी) एवं जिला मत्स्य पदाधिकारी (सभी)/मुख्य अनुदेशक, मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र, राँची/सहायक मत्स्य निदेशक, अनुसंधान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ज्ञापांक 01.270(वि) मत्स्य / राँची, दिनांक 07.06.2021

प्रतिलिपि अनुलग्नक सहित योजना-सह-वित्त विभाग (बजट शाखा वित्त प्रभाग) झारखण्ड, राँची/आ0 वि0 सलाहकार, कृषि, पशुपालन एवं सहकरिता विभाग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/उपायुक्त (सभी) एवं उप विकास आयुक्त (सभी) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ज्ञापांक 01.270(वि) मत्स्य / राँची, दिनांक 07.06.2021

प्रतिलिपि अनुलग्नक सहित माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/ मुख्य सचिव के सचिव/ विकास आयुक्त, झारखण्ड, राँची के सचिव एवं सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकरिता विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव







| क्र.सं.                 | विवरण   | 1         | 2     | 3      | 4     | 5        | 6     | 7     | 8     | 9      | 10     | 11    | 12    | 13        | 14        | 15        | 16        | 17       | 18        | 19       | 20        | 21       | 22    | 23    | 24      | योग        |
|-------------------------|---|-----------|-------|--------|-------|----------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-------|-------|---------|------------|
| 1                       | विद्युत शक्ति-03-पुनर्विक्रय<br>कर-23-अपूर्ति पर आधारित<br>कर (शु. कर) (शु. कर) | 15        | 5     | 40     | 5     | 5        | 5     | 10    | 10    | 15     | 15     | 10    | 10    | 20        | 15        | 5         | 5         | 10       | 10        | 10       | 10        | 20       | 10    | 10    | 20      | 300        |
| 2                       | विद्युत शक्ति-03-पुनर्विक्रय<br>कर (शु. कर) (शु. कर)                            | 1,350     | 0,450 | 3,600  | 0,450 | 0,450    | 0,450 | 0,900 | 1,350 | 1,350  | 0,900  | 0,900 | 1,800 | 1,350     | 0,450     | 1,350     | 0,450     | 0,900    | 0,900     | 0,900    | 1,800     | 0,900    | 0,900 | 1,800 | 27,000  |            |
| 3                       | विद्युत शक्ति-03-पुनर्विक्रय<br>कर (शु. कर) (शु. कर)                            | 100       | 40    | 50     | 20    | 40       | 30    | 30    | 50    | 50     | 30     | 30    | 40    | 70        | 30        | 50        | 30        | 50       | 50        | 50       | 45        | 45       | 30    | 20    | 50      | 1,000      |
| 4                       | विद्युत शक्ति-03-पुनर्विक्रय<br>कर (शु. कर) (शु. कर)                            | 4,000     | 1,600 | 2,000  | 0,800 | 1,600    | 1,200 | 1,200 | 2,000 | 2,000  | 1,200  | 1,200 | 1,600 | 2,800     | 1,200     | 2,000     | 1,200     | 2,000    | 2,000     | 2,000    | 1,800     | 1,800    | 1,200 | 0,800 | 2,400   | 40,000     |
| 5                       | विद्युत शक्ति-03-पुनर्विक्रय<br>कर (शु. कर) (शु. कर)                            | 2,200     | 880   | 1,100  | 440   | 880      | 660   | 660   | 1,100 | 1,100  | 660    | 660   | 880   | 1,540     | 660       | 1,100     | 660       | 1,100    | 1,100     | 990      | 990       | 660      | 440   | 1,320 | 2,000   | 22,000     |
| 6                       | विद्युत शक्ति-03-पुनर्विक्रय<br>कर (शु. कर) (शु. कर)                            | 10,890    | 4,356 | 5,445  | 2,178 | 4,356    | 3,267 | 3,267 | 5,445 | 5,445  | 3,267  | 3,267 | 4,356 | 7,623     | 3,267     | 5,445     | 3,267     | 5,445    | 5,445     | 4,901    | 4,901     | 3,267    | 2,178 | 6,534 | 108,900 |            |
| 7                       | विद्युत शक्ति-03-पुनर्विक्रय<br>कर (शु. कर) (शु. कर)                            | 2,72      | 1,50  | 1,50   | 1,50  | 1,50     | 1,50  | 1,75  | 4,00  | 1,75   | 1,50   | 1,25  | 1,25  | 2,72      | 1,75      | 1,75      | 1,25      | 2,50     | 1,50      | 2,00     | 1,50      | 1,50     | 1,50  | 2,75  | 43,69   |            |
| 8                       | विद्युत शक्ति-03-पुनर्विक्रय<br>कर (शु. कर) (शु. कर)                            | 2,176     | 1,200 | 1,200  | 1,200 | 1,200    | 1,200 | 1,400 | 1,000 | 3,200  | 1,400  | 1,200 | 1,000 | 2,176     | 1,400     | 1,400     | 1,000     | 2,000    | 1,200     | 1,600    | 1,200     | 1,200    | 1,200 | 2,200 | 34,952  |            |
| 9                       | विद्युत शक्ति-03-पुनर्विक्रय<br>कर (शु. कर) (शु. कर)                            | 5         | 1     | 1      | 0     | 1        | 0     | 1     | 0     | 10     | 4      | 2     | 1     | 4         | 3         | 5         | 3         | 5        | 2         | 4        | 1         | 2        | 2     | 2     | 4       | 62         |
| 10                      | विद्युत शक्ति-03-पुनर्विक्रय<br>कर (शु. कर) (शु. कर)                            | 3,750     | 0,750 | 0,750  | 0,000 | 0,750    | 0,000 | 0,750 | 0,000 | 7,500  | 3,000  | 1,500 | 0,750 | 0,750     | 3,000     | 2,250     | 3,750     | 2,250    | 3,750     | 1,500    | 3,000     | 0,750    | 1,500 | 1,500 | 3,000   | 46,500     |
| 11                      | विद्युत शक्ति-03-पुनर्विक्रय<br>कर (शु. कर) (शु. कर)                            | 0         | 0     | 0      | 0     | 0        | 0     | 0     | 0     | 6      | 0      | 0     | 0     | 4         | 0         | 0         | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0     | 0     | 0       | 10         |
| 12                      | विद्युत शक्ति-03-पुनर्विक्रय<br>कर (शु. कर) (शु. कर)                            | 0,000     | 0,000 | 0,000  | 0,000 | 0,000    | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,000  | 0,000  | 0,000 | 0,000 | 6,000     | 0,000     | 0,000     | 0,000     | 0,000    | 0,000     | 0,000    | 0,000     | 0,000    | 0,000 | 0,000 | 0,000   | 15,000     |
| 13                      | विद्युत शक्ति-03-पुनर्विक्रय<br>कर (शु. कर) (शु. कर)                            | 0,80      | 0,00  | 0,50   | 0,40  | 0,50     | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1,80   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 1,10      | 0,80      | 1,50      | 0,00      | 0,80     | 0,00      | 0,80     | 0,60      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 1,40    | 11,20      |
| 14                      | विद्युत शक्ति-03-पुनर्विक्रय<br>कर (शु. कर) (शु. कर)                            | 1,200     | 0,000 | 0,900  | 0,600 | 0,900    | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,700  | 0,000  | 0,000 | 0,000 | 1,650     | 1,200     | 2,250     | 0,000     | 1,200    | 0,000     | 1,200    | 0,000     | 0,900    | 0,000 | 0,000 | 2,100   | 16,800     |
| 15                      | विद्युत शक्ति-03-पुनर्विक्रय<br>कर (शु. कर) (शु. कर)                            | 1         | 0     | 0      | 0     | 1        | 0     | 0     | 0     | 1      | 0      | 0     | 0     | 2         | 1         | 2         | 1         | 1        | 0         | 0        | 0         | 0        | 2     | 0     | 1       | 13         |
| 16                      | विद्युत शक्ति-03-पुनर्विक्रय<br>कर (शु. कर) (शु. कर)                            | 0,300     | 0,000 | 0,000  | 0,000 | 0,300    | 0,000 | 0,000 | 0,300 | 0,300  | 0,000  | 0,000 | 0,000 | 0,600     | 0,300     | 0,600     | 0,300     | 0,300    | 0,000     | 0,000    | 0,000     | 0,600    | 0,000 | 0,300 | 3,900   |            |
| 17                      | विद्युत शक्ति-03-पुनर्विक्रय<br>कर (शु. कर) (शु. कर)                            | 0         | 0     | 0      | 0     | 0        | 0     | 0     | 0     | 0      | 0      | 0     | 0     | 0         | 6         | 6         | 0         | 6        | 0         | 6        | 0         | 0        | 0     | 0     | 0       | 24         |
| 18                      | विद्युत शक्ति-03-पुनर्विक्रय<br>कर (शु. कर) (शु. कर)                            | 0,000,000 | 0,000 | 0,000  | 0,000 | 0,000    | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000  | 0,000  | 0,000 | 0,000 | 0,000,000 | 1,369     | 1,369,14  | 0,000     | 1,369,14 | 0,000     | 1,369,14 | 0,000     | 0,000    | 0,000 | 0,000 | 0,000   | 5,47,656   |
| 19                      | विद्युत शक्ति-03-पुनर्विक्रय<br>कर (शु. कर) (शु. कर)                            | 6         | 0     | 0      | 0     | 6        | 0     | 0     | 0     | 0      | 0      | 0     | 0     | 8         | 6         | 6         | 0         | 6        | 0         | 6        | 0         | 0        | 0     | 0     | 7       | 51         |
| 20                      | विद्युत शक्ति-03-पुनर्विक्रय<br>कर (शु. कर) (शु. कर)                            | 0,17,226  | 0,000 | 0,000  | 0,000 | 0,17,226 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000  | 0,000  | 0,000 | 0,000 | 0,22,968  | 0,17,226  | 0,17,226  | 0,000     | 0,17,226 | 0,000     | 0,17,226 | 0,000     | 0,000    | 0,000 | 0,000 | 0,201   | 1,46,421   |
| कुल योग (विद्युत शक्ति) |   | 23,39,383 | 8,356 | 13,895 | 5,228 | 9,72,826 | 6,117 | 7,517 | 6,367 | 31,495 | 10,217 | 8,067 | 7,117 | 9,506     | 25,42,868 | 11,60,840 | 18,39,640 | 8,917    | 17,13,640 | 11,045   | 14,94,190 | 11,35,05 | 8,667 | 6,578 | 18,535  | 299,99,977 |

नोट - कॉपीकरण करी की आसानी नहीं कराया जाय।

Handwritten signature and initials.

Handwritten signature and initials.

Handwritten signature and initials.

(संयोजक/अधीक्षक)  
कारखाने के अधिकारी